राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर.

1. अपील संख्या – 1983/2013/उदयपुर
2. अपील संख्या – 1984/2013/उदयपुर

मैसर्स मुद्रा मार्बल एण्ड ग्रेनाईट,
उदयपुर। .....अपीलार्थी.

बनाम

सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी,
वार्ड–प्रथम, वृत्त–''बी'', उदयपुर। ....प्रत्यर्थी.

एकलपीठ
श्री अमर सिंह – सदस्य

उपस्थित : :

श्री श्यामकृष्ण पारीक,
अभिभाषक .....अपीलार्थी की ओर से.

श्री आर.के. अजमेरा
उप राजकीय अभिभाषक .....प्रत्यर्थी की ओर से.

निर्णय दिनांक : 03/06/2014

निर्णय

1. यें अपीलें अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा उपायुक्त (प्रशासन), वाणिज्यिक कर विभाग, उदयपुर (जिसे आगे **'अपीलीय अधिकारी'** कहा जायेगा) के प्रकरण संख्या 112 एवं 113/13–14/ कर/उपा (प्र.उदयपुर) में राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम (जिसे आगे **'वेट अधिनियम'** कहा जायेगा) की धारा 34 के तहत पारित किये गये पृथक–पृथक आदेश दिनांक 29.10.2013 के विरूद्ध राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 की धारा 83 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गयी है।

2. **अपील संख्या 1983/2013/उदयपुर** में प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, वार्ड–प्रथम, वृत्त–'बी', उदयपुर (जिसे आगे **'कर निर्धारण अधिकारी'** कहा जायेगा) द्वारा दिनांक 27.03.2007 को अपीलार्थी व्यवहारी का कर निर्धारण वर्ष 2001–02 का एकतरफा कर निर्धारण आदेश पारित करते हुए व्यवहारी के विरूद्ध कर, शास्ति एवं ब्याज रूपये 3,98,440/– की मांग आरोपित की गई। कर निर्धारण अधिकारी के इस एकतरफा आदेश के विरूद्ध अपीलार्थी व्यवहारी के द्वारा उपायुक्त (प्रशासन), उदयपुर के समक्ष धारा 34 के अन्तर्गत आवेदन पत्र प्रस्तुत करने पर, उपायुक्त (प्रशासन), उदयपुर ने आदेश दिनांक 29.10.2013 के द्वारा व्यवहारी का उक्त प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर दिया। उपायुक्त (प्रशासन), उदयपुर के इस आदेश के विरूद्ध अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा यह अपील पेश की है।

अपील संख्या 1984/2013/उदयपुर में प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, वार्ड–प्रथम, वृत्त–'बी', उदयपुर (जिसे आगे **'कर निर्धारण अधिकारी'** कहा जायेगा) द्वारा दिनांक 15.06.2005 को अपीलार्थी व्यवहारी का कर निर्धारण वर्ष 2002–03 का एकतरफा कर निर्धारण आदेश पारित

लगातार.....2

करते हुए व्यवहारी के विरूद्ध कर, शास्ति एवं ब्याज रूपये 4,42,445/— की मांग आरोपित की गई। कर निर्धारण अधिकारी के इस एकतरफा आदेश के विरूद्ध अपीलार्थी व्यवहारी के द्वारा उपायुक्त (प्रशासन), उदयपुर के समक्ष धारा 34 के अन्तर्गत आवेदन पत्र प्रस्तुत करने पर, उपायुक्त (प्रशासन), उदयपुर ने आदेश दिनांक 29.10.2013 के द्वारा व्यवसायी का उक्त प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर दिया। उपायुक्त (प्रशासन), उदयपुर के इस आदेश के विरूद्ध अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा यह अपील पेश की है।

3. उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

4. बहस के दौरान अपीलार्थी की ओर से विद्वान अधिवक्ता ने तर्क किया कि कर निर्धारण अधिकारी ने एकतरफा आदेश पारित करने से पूर्व व्यवहारी को नोटिस जारी नहीं किया है और न ही उनको सुनवाई का समुचित अवसर दिया है तथा एकपक्षीय आदेश पारित कर दिया गया तथा उपायुक्त (प्रशासन) द्वारा भी बिना किसी उचित कारण से उनकें आवेदन धारा 34 को अस्वीकार कर दिया। अतः अपील स्वीकार कर पुनः कर निर्धारण अधिकारी को इस निर्देश के साथ प्रकरण प्रतिप्रेषित किया जाए कि व्यवसायी को सुनकर आदेश पारित करे।

5. प्रत्यर्थी विभाग के विद्वान अभिभाषक ने व्यवहारी के अभिभाषक के तर्कों का खण्डन करते हुए कथन किया कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा व्यवहारी को नोटिस जारी किया है। नोटिस की सूचना के बाद भी व्यवहारी कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष उपस्थित नहीं हुआ है और न ही रिर्टन प्रस्तुत किये है चूंकि प्रकरण अवधिपार होने जा रहा था अतः कर निर्धारण अधिकारी द्वारा सर्वोत्तम विवेक से एकपक्षीय आदेश पारित किया है जो उचित है। अतः अपील अस्वीकार की जाए।

6. दोनों पक्षों की बहस सुनने एवं रेकॉर्ड का अवलोकन करने के पश्चात् यह एकलपीठ इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि अपील संख्या 1983/2013 में कर निर्धारण अधिकारी द्वारा दिनांक 27.03.2007 को अपीलार्थी व्यवहारी का कर निर्धारण वर्ष 2001—02 आदेश पारित करते हुए व्यवहारी के विरूद्ध रूपये 3,98,440/— की मांग आरोपित कर एकपक्षीय आदेश पारित किया है। इसी प्रकार अपील संख्या 1984/2013 में कर निर्धारण अधिकारी द्वारा दिनांक 15.06.2005 को अपीलार्थी व्यवहारी का कर निर्धारण वर्ष 2002—03 आदेश पारित करते हुए व्यवहारी के विरूद्ध रूपये 4,42,445/— की मांग आरोपित कर एकपक्षीय आदेश पारित किया है। कर निर्धारण अधिकारी के उक्त आदेश के विरूद्ध अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा उपायुक्त (प्रशासन), उदयपुर के समक्ष धारा 34 के अन्तर्गत आवेदन पत्र प्रस्तुत करने पर, उपायुक्त (प्रशासन), उदयपुर ने पृथक—पृथक आदेश दिनांक 29.10.2013 के द्वारा व्यवहारी का उक्त प्रार्थना पत्र

लगातार.....3

अस्वीकार कर दिया। रिकॉर्ड की जांच से यह स्पष्ट है कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अपीलार्थी को साधारण नोटिस एवं रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये गये है परन्तु यह स्पष्ट नहीं है कि उक्त नोटिस किसे तामील कराये गये है। जबकि व्यवहारी द्वारा नोटिस उसे तामील नहीं होने का तर्क दिया है। ऐसी स्थिति में यह मानने का पर्याप्त आधार है कि नोटिस अपीलार्थी व्यवहारी को तामील नहीं हुए है। अतः प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के आधार पर अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर नहीं मिला है अतः एक अवसर दिया जाना उचित होगा। उपायुक्त (प्रशासन) ने भी कर निर्धारण अधिकारी के आदेश को यथावत रखते हुए, व्यवहारी का प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर दिया है। अतः यह पीठ इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि उक्त प्रकरण पुनः कर निर्धारण अधिकारी को इस निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किये जाते है कि कर निर्धारण अधिकारी अपीलार्थी व्यवहारी को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए आदेश पारित करे।

7. फलतः अपीलार्थी व्यवहारी की अपीलें स्वीकार कर प्रकरण उपरोक्त निर्देशानुसार कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित किये जाते है। अपीलार्थी व्यवहारी को भी यह निर्देश दिये जाते है कि वे दिनांक 23.07.2014 को अपना पक्ष रखते हुए कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष उपस्थित हो।

निर्णय सुनाया गया।

3-6-14

(अमर सिंह)
सदस्य